सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 03.04.2024

सट्टे की खाई बाडी कर रहे 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल(खाई बाडी में प्रयुक्त), 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस एवं 9940/- रुपये नकदी की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सिविल लाइन पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टे की खाई बाडी कर रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 02.04.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत लुहन्ना चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 01 व्यक्ति अवैध असलाह लेकर कचौरा रोड पर स्थित इटावा ग्वालियर लाइन रेलवे पुल के नीचे सट्टे की खाई बाडी कर रहा है सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये **01 व्यक्ति को रेलवे पुल के पास सारंगपुरा जाने वाले रास्ते से समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये व्यक्ति की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस एवं 9940/-रुपये नकद बरामद किये गये।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 76/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निक्सन बाबू पुत्र सूरज सहाय राजपूत निवासी लुहन्ना थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 35 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 76/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 9940/-रुपये नकद।

पुलिस टीम- निरी0 श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 दिनेश कुमार शुक्ला, का0 अमित खोखर, का0 गजेन्द्र सिंह।